राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 636/2015/जोधपुर.

मैसर्स अजवानी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

· बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चौपड़ा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/02/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 36/आरवैट/जेयूई/14–15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.03.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा निर्धारण वर्ष 2011–12 के आदेश दिनांक 10.03.2014 अपीलार्थी के विवरण पत्रों को विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब शुल्क का आरोपण रूपये 20,050/– किया गया था। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आलौच्य वर्ष 2010–11 की अवधि में समस्त त्रैमासिक विवरण पत्र वेट 10 विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 02.03.2013 को अपलोड किए परन्तु हार्ड कॉपी वक्त कर निर्धारण तक पेश नहीं की गयी तथा वार्षिक विवरण पत्र 10A एक दिवस देरी से दिनांक 12.06.2013 को देरी से प्रस्तुत किए। त्रैमासिक विवरण पत्रों की वक्त कर निर्धारण तक की देरी व वार्षिक विवरण पत्र की एक दिवस की देरी मानते हुए विलम्ब शुल्क रूपये 20,050/– अभिनिर्धारित किया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने से क्षुब्ध होकर यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी एक ठेकेदार व्यवसायी है एवं ठेकेदार व्यवसायी एक मासिक कर दाता की श्रेणी में नहीं आता है ऐसी स्थिति में विवरण पत्रों पर आरोपित विलम्ब शुल्क राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19(A)(i) के तहत् शुल्क देने के लिये दायी नहीं है बल्कि वे नियम 19(A)(iii) के अधीन ही विलम्ब शुल्क के लिये दायी है अतः विलम्ब शुल्क रूपये 20,050/– अनुचित होने से अपास्त होने योग्य है। प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवसायी वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट का ही कार्य करते है एवं कर निर्धारण भी उसी अनुसार संविदा कार्य, वृत्त–जोधपुर द्वारा किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **वाणिज्यिक कर अधिकारी, डुंगरपुर बनाम मैसर्स नवभारत निर्माण कम्पनी, डुंगरपुर (2013) 36 टैक्स अपडेट पेज नं. 289** में पारित निर्णय में ठेकेदार व्यवसाईयों को मासिक करदाता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होना माना गया है। इसी तरह इसके पूर्व भी माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय **अपील संख्या 2235/2006/उदयपुर निर्णय दिनांक 19.08.2007 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर बनाम मैसर्स प्रीसीजन टेक्नोक्रेट, उदयपुर** एवं माननीय कर बोर्ड के अन्य निर्णय **वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जयपुर बनाम बेनीवाल कन्स्ट्रक्शन (2005) 12 टैक्स अपडेट** में भी यह निर्णीत किया गया है कि ठेकेदार व्यवसाईयों का देय कर अवार्डर द्वारा स्त्रोत पर ही कटौती कर अवार्डर द्वारा ही जमा करवाया जाता है अतः ठेकेदार मासिक कर दाता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में यह तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित है कि अपीलार्थी व्यवसायी पर विलम्ब शुल्क का आरोपण नियम 19(A)(iii) के अनुसार अधिकतम रूपये 5,000/– ही किया जा सकता है अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर आरोपित विलम्ब शुल्क रूपये 20,050/– में से रूपये 5,000/– की सीमा तक का शुल्क यथावत रखते हुए अवशेष राशि रूपये 15,050/– हटाये जाते है।

5. अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

1/2/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य